मकान किराया भत्ता नियम

महेश राजोरिया

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302017

प्रशिक्षण मोनोग्राफ

मकान किराया भत्ता नियम

महेश राजोरिया

R.Ac.S. (Rtd)

पूर्व वित्तीय सलाहकार

पुलिस मुख्यालय

जयपुर

hcm ripa

Since 1957

राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

जयपुर–302 017

© प्रकाशक :

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर – 302017

प्रथम संस्करण : 1987

द्वितीय संस्करण : जनवरी, 2017

मुद्रित प्रतियां : 3000

मुद्रक :
प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस, जयपुर

प्राक्कथन

राजस्थान सरकार के ''मकान किराया भत्ता नियमों'' से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रशिक्षण मोनोग्राफ का प्रथम प्रकाशन मूल रूप से संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1987 में किया गया था। इसका चौदहवां संस्करण इसकी निरन्तर बढ़ती हुई उपयोगिता का स्पष्ट प्रमाण है। इसमें इसके प्रथम संस्करण के प्रकाशन के पश्चात् से 2016 तक हुए समस्त संशोधनों का समावेश कर लिया गया है।

इस पुस्तिका की संरचना पुलिस मुख्यालय के पूर्व वित्तीय सलाहकार महेश राजौरिया (R.Ac.S.) द्वारा संशोधित एवं अद्यतन किया गया है। संस्थान इनके आभारी है।

आशा है, यह पुस्तिका प्रशिक्षणार्थियों तथा उन सभी के लिए, जिन्हें इन नियमों में रुचि है, उपयोगी सिद्ध होगी।

जयपुर, जनवरी 2017

गुरजोत कौर, आई.ए.एस.
अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (प्रशिक्षण) एवं महानिदेशक,
ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 42 के तहत प्राप्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता के नियमन हेतु निम्न नियम बनाये हैं –

1. लागू होने की सीमा

1. ये नियम समस्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे।
2. ये नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे :
   (i) दैनिक भोगी कर्मचारी तथा कार्य प्रभारित कर्मचारी
   (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जब तक कि उनकी संविदा शर्तों में मकान किराया भत्ते के देयता के सम्बन्ध प्रावधान न हो।

2. परिभाषायें–

(1) **मूल वेतन** : मूल वेतन से तात्पर्य राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में प्रदत्त परिभाषा से है। इसके अनुसार चालू वेतन बैण्ड में वेतन व ग्रेड पे को सम्मिलित करते हुए राशि ''मूल वेतन'' कहलाती है।

(2) **परिवार** : से अभिप्राय सरकारी कर्मचारी की पति/पत्नी, बच्चे और अन्य व्यक्ति जो उसके साथ रहते हों और उस पर पूर्णतया निर्भर हों, किन्तु पति/पत्नि, बच्चे, माता–पिता जिनके पास आय के स्वतंत्र स्रोत रखते हैं, उन्हें आश्रित नहीं माना जावेगा; सिवाय तब तक जब तक कि उनकी मासिक आमदनी (जिसमें पेंशन, उपादान एवं पेंशनरी परिलाभ सम्मिलित नहीं) ₹ 500 से अधिक न हो।

टिप्पणी : यदि आय का स्वतंत्र स्रोत रखते हैं तो पूर्णतया आश्रित नहीं माना जाएगा। परन्तु पेंशन एवं अन्य पेशन लाभ के अलावा ₹ 500/– प्र.मा. से अधिक हो तो पूर्णतया आश्रित नहीं माना जाएगा।

(3) ''सरकार'' का तात्पर्य राजस्थान सरकार।

3. कब अनुज्ञेय नहीं है

निम्नलिखित सरकारी कर्मचारी मकान किराया भत्ता पाने के अधिकारी नहीं है :

1. (अ) सरकार के स्वामित्व वाले, पट्टे पर लिये हुए अथवा अधिग्रहित आवास में रहता है या अन्य विभाग के आवास में रहता है या सरकारी भवन, यथा सर्किट हाउस, डाक बंगला या हॉस्टल में रहता है;
   (ब) जो देवस्थान विभाग या किसी अन्य राजकीय विभाग के आवास में रहता है;
   (स) नगर विकास न्यास, नगरपालिका, स्थानीय निकाय संस्था या स्वायत्तशासी संस्था के स्वामित्व वाले आवास में रहता है।
2. जो सरकारी आवास का आवंटन स्वीकार कर लेता है– निवास प्रारम्भ करने के दिन से या स्वीकृति की दिनांक के पश्चात् आठवें दिन से, जो भी पहले हो।

3. (अ) जो किसी अन्य कर्मचारी को आवंटित किराया मुक्त सरकारी आवास में उसके साथ रहता हो या पति/पत्नी/अभिभावक/पुत्र/पुत्री को सरकार/स्वायत्तशासी सार्वजनिक उपक्रम/निकाय/निगम/अर्धशासकीय संगठन द्वारा आवंटित मकान में उसके साथ रहता हो।
(ब) यदि पति/पत्नी को उसी स्थान पर केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय/निगम/अर्द्धशासकीय संगठन द्वारा आवंटित मकान हो। (नियम 3)

4. कब देय है

1. (i) सरकारी कर्मचारी जो किराये के मकान में रह रहा है को किराये के आवास के लिए मकान किराया भत्ता नियम 5 के अनुसार देय है।
(ii) उपयुक्त क्लॉज (i) के अनुसार मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को इस आशय का एक प्रमाण–पत्र देना होगा कि वह मकान के किराये की राशि पूर्णरुपेण या आंशिक रूप में चुका रहा है। यदि किराये के मकान का एक भाग किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दिया जाता है जो सरकारी कर्मचारी है या नहीं और उससे प्राप्त राशि चुकाये जा रहे किराये के बराबर या उससे अधिक है तो यह माना जायेगा कि कर्मचारी मकान किराये पर कोई राशि व्यय नहीं कर रहा है।

2. यदि कर्मचारी अपने स्वयं/पति/पत्नी/माता–पिता/बच्चे के स्वामित्व वाले मकान में या 'हिन्दू अविभाजित परिवार' के स्वामित्व वाले मकान में रहता है तब भी उसे नियम 5 में दी गई दरों पर मकान किराया भत्ता मिलेगा। इसके लिए उसे इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि वह मकान/सम्पत्ति कर के चुकाने में या मकान के रख–रखाव में पूर्ण या आंशिक रूप से हिस्सेदार है।
इस नियम के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के किश्तों पर खरीदा गया मकान भी स्वयं का मकान माना जाएगा। [नियम 2, नियम 4 (1) एवं (2)]

3. यदि पति–पत्नी दोनों राज्य सेवा में हो और एक ही स्थान पर नियुक्त हों तो दोनों को ही मकान किराया भत्ता देय है, चाहे वे एक ही किराये के अथवा स्वयं के मकान में ही रहते हों। अन्य शर्तें अर्थात् जरूरी प्रमाण–पत्र इत्यादि उपरोक्तानुसार ही लागू होंगे। मकान किराया भत्ते के लिए उन्हें नियमानुसार अलग–अलग आवेदन करना होगा। [नियम 4 (3)]
नोट : राजस्थान सरकार, वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 8(10)वित्त/नियम/2009 दिनांक 30.01.2017 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.2016 के क्रम आदेश जारी किये है कि राजकीय सेवा में सेवारत पति–पत्नी जो एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित है तथा एक ही मकान में रहते हों तो, उनमें से एक का ही मकान किराया भत्ता, जो दोनों में से जिसका अधिक हो, आहरित किया जावे। आदेश की प्रति इस मोनोग्राफ के अन्तिम पृष्ठ पर संलग्न है।

4. निवास प्रारम्भ करने की दिनांक से एक माह के अन्दर आवेदन करने पर मकान किराया भत्ता निवास प्रारम्भ करने की दिनांक से स्वीकृत किया जायेगा, अन्यथा प्रार्थना–पत्र देने की दिनांक से। [नियम 4(4)]
5. यदि कर्मचारी के नियुक्ति स्थान पर अपना स्वयं का मकान है, किन्तु वह किसी अन्य किराये के मकान में रहता है तो उस किराये के मकान के लिए मकान किराया भत्ता पाने का हकदार है। [नियम 4(5)]

5. मकान किराये भत्ते की दरें

(1.) यदि इन नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता देय है तो निम्नलिखित शहरों की नगरपालिका सीमा/नगर निगम सीमा/शहरी सीमा जो उप नियम (2) में वर्णित है के भीतर पदस्थापित राज्य कर्मचारियों को निम्न प्रकार मकान किराया भत्ता देय होगा :

मकान किराया भत्ते की संशोधित दरें (1.9.2008 से लागू)

श्रेणी	नगर/कस्बों का वर्गीकरण	मकान किराया भत्ते की दरें (प्रतिमाह)
'Y'	5 लाख के ऊपर की जनसंख्या के शहर (पहले के 'B-1' तथा 'B-2' श्रेणी के शहर)	वेतन (रनिंग से बैंड में वेतन एवं ग्रेड पे का योग) का 20%
'Z'	5 लाख से कम की जनसंख्या के शहर, (पहले के 'C' श्रेणी एवं अवर्गीकृत शहर) कस्बे, ग्राम	वेतन (रनिंग से बैंड में वेतन एवं ग्रेड पे का योग) का 10%

(2) उपनियम(1) के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता की देयता के उद्देश्य के लिए शहर/कस्बों का वर्गीकरणः– (1.9.2008 से लागू)

'Y' के रूप में वर्गीकृत शहर	'Z' के रूप में वर्गीकृत शहर
1. बीकानेर 2. जयपुर 3. जोधपुर (UA) 4. कोटा (UA) 5. अजमेर (UA)	'Y' श्रेणी में वर्णित शहरों के अतिरिक्त शेष सभी नगर, कस्बे व ग्राम

(3) (वित्त विभाग के 19.12.04 के आदेशानुसार मकान किराया भत्ता के नियम 5 में संशोधन 01.01.05 से प्रभावी यानि कि 01.02.05 से देय वेतन पर) किन्तु 1/9/2008 से पूर्व

मूल वेतन	दर प्रति माह		अन्य अवर्गीकृत स्थान
	ए, 'बी–1' तथा 'बी–2' श्रेणी के शहर	सी श्रेणी के शहर	
1. राजस्थान सेवा नियम 24 (i) में परिभाषित अनुसार। नोटः 1.9.96 से पूर्व की वेतन शृंखलाओं में वेतन पाने वालों के वेतन में 1.1.96 को प्राप्त होने वाले मंहगाई भत्ता तथा वेतन शृंखला के अनुरूप अंतरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किश्त सम्मिलित करते हुए।	***ए :*** 1. जयपुर (शहरी सीमा) (सांगानेर व आमेर सहित)(एच आर.ए. के लिए अग्रिम आदेश तक पुराना वर्गीकरण 'बी–1' ही रहेगा।) ***बी–1*** : कोई नहीं ***बी–2*** : 1. अजमेर 2. बीकानेर 3. जोधपुर 4. कोटा (शहरी सीमा) ए, बी–1 तथा बी–2 श्रेणी के शहरों के लिए मूल वेतन + महंगाई वेतन (मूल वेतन का 50%) का 15 प्रतिशत	1. अलवर (शहरी सीमा) 2. भरतपुर (शहरी सीमा) 3. बांसबाड़ा (शहरी सीमा) 4. ब्यावर (शहरी सीमा) 5. बूंदी 6. बाड़मेर 7. भीलवाड़ा 8. बारां 9. बाड़ी 10. बालोतरा 11. चुरू (शहरी सीमा) 12. चित्तौड़गढ़ 13. चौमूं 14. धौलपुर (शहरी सीमा) 15. दौसा 16. फतेहपुर 17. गंगापुर सिटी 18. गंगानगर (शहरी सीमा)	अन्य अवर्गीकृत स्थानों हेतू मूल वेतन + मंहगाई वेतन मूल 5 प्रतिशत का झालावाड. डूंगरपुर, सिरोही सहित सभी नगर, कस्बे एवं ग्राम (5,000 से कम आबादी) वाले स्थानहेतु मूल वेतन + महंगाई वेतन (मूल वेतन का 50 प्रतिशत) का 5 प्रतिशत

मंहगाई वेतन पर नियम 7(24) (i) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.5.2004

मूल वेतन	दर प्रति माह		अन्य अवर्गीकृत स्थान
	ए, 'बी–1' तथा 'बी–2' श्रेणी के शहर	सी श्रेणी के शहर	
		19. हनुमानगढ़ 20. हिन्डौन 21. झुंझुनूं 22. जैसलमेर 23. किशनगढ़ 24. करौली 25. कुचामन सिटी 26. लाडनूं 27. मकराना 28. माउन्ट आबू 29. नागौर (शहरी सीमा) 30. नवलगढ़ 31. निम्बाहेड़ा 32. पाली 33. रतनगढ़ 34. राजसमन्द 35. सवाईमाधोपुर 36. सीकर (शहरी सीमा) 37. सरदार शहर 38. सुजानगढ़ 39. सूरतगढ़ 40. टोंक 41. उदयपुर सी–श्रेणी के शहरों के लिए मूल वेतन + महंगाई वेतन (मूल वेतन का 50%) का 7.5 प्रतिशत	

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में न्यायिक अधिकारियों को मकान किराया भत्ता प्रावधानों से अधिक चुकाए मकान किराये हेतु अधि–भुगतान की व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र (16.2.96) के तहत की गई है।

मंहगाई वेतन पर नियम 7(24) (i) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.5.2004

(वेतन से तात्पर्य–वेतन व मंहगाई वेतन का 50 प्रतिशत को सम्मिलित करते हुए 1.9.2008 से पूर्व तक)

न्यायिक अधिकारियों को मकान पुनर्भरण की सीमा

न्यायिक अधिकारियों को मकान पुनर्भरण की सीमा राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र.प.1(56) सा.प्र./86 दिनांक 5.9.2005 के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार आवास का प्लीन्थ एरिया के आधार पर मकान किराया पुनर्भरण किया जावेगा :

क्र.सं.	*अधिकारी का वर्ग*	*एरिया वर्ग फीट*	*श्रेणी*
1.	मंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट	1278	III
2.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	1734	II
3.	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला सत्र न्यायाधीश	2273	I

किराया परिसर का अधिकतम निर्धारित किराया :

आवास श्रेणी	*जयपुर शहर*	*संभागीय स्तर पर*	*अन्य स्थानों पर*
I	₹ 7030	₹ 6260	₹ 5500
II	₹ 5530	₹ 4805	₹ 4275
III	₹ 3630	₹ 3280	₹ 2925

मकान मालिक को चुकाया गया वास्तविक किराया अथवा उपरोक्त अधिकतम निर्धारित किराया दोनों में से जो भी कम हो पुनर्भरण योग्य होगा। परन्तु राजकीय प्रवास/आवंटन किराया नियम 1958 के नियम 18 के अनुसार न्यायिक अधिकारियों से सरकारी आवास हेतु निर्धारित किराये की कटौती की जावेगी।

न्यायिक अधिकारियों को किराये की कटौती का पुर्नभरण निदेशक, सम्पदा विभाग करेंगे।

6. कतिपय विशेष परिस्थितियों में मकान किराया भत्ते का निर्धारण

(अ) अवकाश अथवा अस्थाई स्थानान्तरण में :

पूर्व में मिलने वाली दर के अनुसार ही मिलता रहेगा।

टिप्पणियाँ :

(i) अवकाश से तात्पर्य सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश सहित समस्त प्रकार के अवकाश जो 120 दिन से अधिक न हो परन्तु इसमें असाधारण अवकाश, अध्ययन अवकाश व अस्वीकृत अवकाश शामिल नहीं हो।

(ii) टी.बी./कैंसर/कुष्ठ/मानसिक रोग के आधार पर दिये गये अवकाश के लिए यह सीमा 240 दिन तक होगी।

(iii) टिप्पणी संख्या (i) में सन्दर्भित 120 दिन की सीमा को मातृत्व अवकाश की स्वीकृति के मामले में इस भत्ते के लिए 180 दिन तक बढ़ाया जावेगा।

(iv) अस्थाई स्थानान्तरण जो चार माह से अधिक न हो। यदि बाद में यह अवधि चार माह से अधिक बढ़ाई जाती है तो चार माह की सीमा को मानते हुए आदेश की दिनांक तक मिलता रहेगा।

(ब) कार्यग्रहण काल में :

(i) स्थानान्तरण के पूर्व के स्थान पर मिलने वाली दर पर देय है।

(ii) यदि स्थानान्तरण के बाद नये स्थान पर सरकारी कर्मचारी को न तो किराये का मकान उपलब्ध हो और न ही आवास आवंटित हो और वह पुराने स्थान पर ही परिवार को किराये के मकान में रख रहा हो तो उसे स्थानान्तरण के पूर्व के स्थान पर मिलने वाली दर पर नये स्थान पर कार्यभार लेने की दिनांक से छः माह तक या नये स्थान पर किराये का मकान लेने की तिथि तक या सरकारी आवास आवंटित होने की तिथि तक जो भी पहले हो मकान किराया भत्ता मिलेगा।

(स) पदस्थापन की प्रतीक्षा के दौरान :

जिन स्थानों पर कर्मचारी पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहा है, उस स्थान पर लागू नियमों के अनुसार देय है।

(द) भारत में प्रशिक्षण काल में :

यदि प्रशिक्षण काल को रा.से.नि. के नियम 7(8) (ब) (i) के अधीन सेवा काल माना जाये तो प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि में प्रशिक्षण में जाने से पूर्व की दरों पर मकान किराया भत्ता देय है।

(र) निलम्बन काल में :

राजस्थान सेवा नियम के नियम 53 (ख) की शर्तों के अधीन, निलम्बन अवधि में भी मकान किराया भत्ता पूर्व की दरों पर ही देय है।

टिप्पणियाँ

(i) यदि निलम्बन काल में सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय जनहित में परिवर्तित किया जाए तो नये स्थान पर लागू नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता देय होगा।

(ii) यदि कर्मचारी के आवेदन पर मुख्यालय परिवर्तित किया जाए तो नये स्थान पर देय मकान किराया भत्ता अथवा पूर्व स्थान पर देय मकान किराये भत्ते में से जो भी कम हो, देय होगा।

(द) विदेश में प्रशिक्षण काल में :

प्रशिक्षण में जाने से पूर्व के स्थान पर जिस दर से मिल रहा था, प्रशिक्षण के पूरे काल में उसी दर से देय है, बशर्ते कि यह रा.से.नि. के नियम के 51 के नीचे दिये गये निर्णय सं. 1 के अनुसार प्रतिनियुक्ति न हो।

7. राजस्थान के बाहर नियुक्ति पर

(i) यदि राज्य कर्मचारी का राज्य के बाहर पदस्थापन किया जाता है और उसे सरकार द्वारा किराये पर/लीज पर लिया गया मकान दिया जाता है तो उसे राजस्थान सिविल सेवा (आवासीय भवनों का

किराया निर्धारण एवं वसूली) नियम 1958 के अनुसार किराये का भुगतान करना होगा।

(ii) राजस्थान के बाहर नियुक्ति पर उस स्थान पर लागू केन्द्र सरकार अथवा उस राज्य सरकार के नियमों में से जो भी कर्मचारी को लाभप्रद हो, के अनुसार मकान किराया भत्ता मिलेगा।

8. प्रमाण–पत्र

(i) प्रत्येक कर्मचारी अपने प्रथम दावे के साथ अथवा जब भी तथ्यों में परिवर्तन हो, नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ii) आहरण एवं वितरण अधिकारी जनवरी और जुलाई के वेतन बिल में निम्न आशय का प्रमाण–पत्र देगा :

''प्रमाणित किया जाता है कि 'जिन कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता उठाया गया है, उन्हें सरकारी आवास नहीं दिया गया है।''

9. प्रक्रिया :

(i) सरकारी कर्मचारी इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में कार्यालयाध्यक्ष को एवं स्वयं के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष होने की स्थिति में उच्चतर अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ii) सम्बन्धित अधिकारी उस प्रार्थना–पत्र की एक प्रति राजकीय आवास आवंटित करने के लिए सक्षम अधिकारी को भेजेगा और बिना अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र की प्रतीक्षा किये इन नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता स्वीकृत कर देगा।

FORM-A

APPLICATION FORM FOR CLAIMING HOUSE RENT ALLOWANCE IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVANTS LIVING IN RENTED ACCOMMODATION/OWN HOUSE

1. Name :
2. Designation and department in which employed :
3. Pay : (i) Pay as per Rule 2(1) of these rules : Rs.
   (ii) Pay plus pension (for re-employed persons only) : Rs.
4. (i) Full address of the house :
   (ii) Whether rented or own :
5. Details of accommodation (Number of rooms, Kitchen, w.c. and bath, varandah etc. be shown separately) :
6. Amount of house rent allowance claimed as admissible under rules :
7. Whether certificates required under rules are attached :
8. Date of occupation of the accommodation :

Signature...................................
Designation................................
Department................................

FOR USE IN THE OFFICE OF HEAD OF OFFICE

Certified that

1. I have examined the claim for house rent allowance and I am satisfied that the claim is in accordance with the rules. The certificates prescribed by government have been obtained from the government servant.

2. House Rent Allowance of Rs........................is hereby sanctioned.

Signature
(Head of office) Designation

Date : ....

No.

Copy forwarded to En/Collector/Deputy Secretary, General Administration Department, Jaipur, for alloting government accommodation, if available.

Signature.....................
Designation.................

FORM-B

CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY A GOVERNMENT SERVANT WHO IS APPLYING FOR GRANT OF HOUSE RENT ALLOWANCE

Certified that :

1. I am living in a rented house situated within municipal limits of ....(Name of City/Town) and incurring some expenditure on rent/contribution towards rent.
2. The portion of accommodation in respect of which house rent allowance is claimed has not been sub-let/has been sub-let and the monthly rent which is received is Rs............p.m.
3. I am living in a house situated within minicipal limits of...........(Name of City/Town) and owned by me/my wife/husband/children/father/mother/Hindu undivided family in which I am co-partner and paying/contributing towards house or property tax or maintenance of the house.
4. I have not been provided with government accommodation by the central Government, State Government or Autonomous Public Undertaking or Body or Corporation of Semi-government Organisation such as Municipalities etc.
5. I am not living in Government accommodation which has been allotted to another Government servant.

(Signature of the Government Servant)

राजस्थान असैनिक सेवायें (आवासीय भवनों का किराया निर्धारण एवं वसूली) नियम, 1958

1. इन नियमों के तहत राज्य कर्मचारियों, जिला प्रमुखों व अधिस्वीकृत पत्रकारों व परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी के परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। (प.35(12)सा. II / 2 / 06 दिनांक 3.8.2006)

2. ***परिभाषाएं :***

 (i) वेतन : (i) वेतन से अभिप्रेत राजस्थान सेवा नियम 7(24) में परिभाषित वेतन से है।

 (ii) परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण अवधि के बाद जिस वेतन व ग्रेड़ वेतन प्राप्त होगा। उसी के आधार पर पात्रता का निर्धारण होगा।

 (iii) परिवार : परिवार में केवल पति/पत्नी, बच्चे, सौतेले बच्चे, माता–पिता, भाई–बहिन जो कि सामान्यतया उसके साथ रहते हैं और कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित है। (परि. क. नियम 3 ख)

 (iv) आवंटन अधिकारी से अभिप्राय है :

(क) जयपुर के लिए : सामान्य प्रशासन विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पत्ति वाले आवासों में संबंधित क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार)

(ख) संभागीय मुख्यालयों पर : संभागीय आयुक्त द्वारा समस्त कर्मचारियों के लिए।

(ग) जिलाधीश, जिला मुख्यालयों (जयपुर को छोड़कर) पर समस्त कर्मचारियों के लिए

(घ) अस्पताल, महाविद्यालय, जेल, वाणिज्य कर विभाग, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान आदि संस्थानों के परिक्षेत्र में स्थित आवासीय क्वाटर्स का आवंटन उनके प्रभारी अधिकारी करेंगे।

[(परिशिष्ट 'क' नियम 3–झ)]

3. प्रत्येक राज्य कर्मचारी विहित प्रपत्र में आवंटन अधिकारी को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा जो उसे प्रवर्गों के अनुसार संधारित प्रतीक्षा सूची की पंजिका में इन्द्राज करेंगे। [परिशिष्ट 'क' नियम 7 (क) (ख)]

4. (क) एक अधिकारी/कर्मचारी जिसका स्वयं का मकान हो या आवासन मंडल द्वारा उस स्थान पर आवास गृह आवंटित किया हो, फार्म हाउस जो उसके पत्नी/पति/नाबालिग बच्चे के नाम उस आवंटन सीमा में हो जहाँ वह पदस्थापित है तो वह राजकीय निवास स्थान पाने का हकदार नहीं होगा।

 (ख) जिन राज्य कर्मचारियों को राजकीय आवास आवंटित किया जा चुका है, उनसे नियम 11 (iii) (ए) के अनुसार में आदेश प्रसारित होने के 8

दिवस पश्चात् अथवा आवास का कब्जा लेने की दिनांक जो भी पहले हो, से मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

(ग) आवास का कब्जा आवंटन तिथि से 8 दिवस में लिया जावेगा। इस अवधि में आवास का कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

5. राजकीय क्वाटर की अनुज्ञेयता दिनांक 1.9.2008 :

क्र.सं.	*आवास की श्रेणी*	*आहरित ग्रेड़ पे*
(1)	*जयपुर में पदस्थापित होने पर*	
1.	76-I	₹ 8,700 व उच्च ग्रेड़ पे
2.	76-II	₹ 6,600 से 8,200
3.	76-III	₹ 4,200 से 6,000
4.	76-IV	₹ 2,400 से 3,600
5.	76-V	₹ 2,100 तक की ग्रेड़ पे
(2)	*जयपुर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर*	
1.	76-I	₹ 7,600 या उच्च ग्रेड़ पे
2.	76-II	₹ 5,400 से 6,800
3.	76-III	₹ 3,600 से 4,800
4.	76-IV	₹ 2,100 से 3,200
5.	76-IV	₹ 2,000 तक की ग्रेड़ पे

6. राजकीय आवास किराये की कटौती दरें दिनांक 1.9.2008 से निम्नानुसार प्रभावी हैं :

वेतन (चालू वेतन बेंड में वेतन+ग्रेड़ वेतन)	*दर*
₹ 13,000 से कम	0.75 प्रतिशत
₹ 13,000 से 18999	1.50 प्रतिशत
₹ 19,000 व अधिक	2.00 प्रतिशत

7. जयपुर स्थित राजकीय आवास में पात्रता से निम्न श्रेणी के आवंटित राजकीय आवास में निवास कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से काटी जाने वाली किराये की अधिकतम राशि :

क्र.सं.	*श्रेणी*	*अधिकतम आवास किराये की राशि*
1.	76-II	946
2.	76-III	902
3.	76-IV	768
4.	76-V	441

(आदेश प. 1(55) सा.प्र./2/77 पार्ट–I दिनांक 25.1.2008)

8. परिवीक्षाधीन अवधि प्रशिक्षणार्थी को प्राप्त करे पारिश्रमिक पर उक्त अनुसार कटौती की जावेगी।

9. पत्रकारों को आवंटित राजकीय आवासों का किराया निम्नानुसार वसूलनीय है :

आवास की श्रेणी	*किराया प्रतिमाह*
द्वितीय श्रेणी	₹ 1250
तृतीय श्रेणी	₹ 1000
चतुर्थ श्रेणी	₹ 750

उक्त किराया दरें दिनांक 1.6.2000 से प्रभावी है।

10. राज्य कर्मचारी अवकाश तथा प्रशिक्षणाधीन काल में दो वर्ष तक सरकारी आवास का उपभोग कर सकता है। [नियम 20(1) आदेश निदांक 5.8.1980]

11. यदि कोई राज्य कर्मचारी अवकाश तथा प्रशिक्षणाधीन काल में दो वर्ष बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करता है तो स्टैण्डर्ड किराये का दुगना किराया वसूल किया जायेगा। [नियम 20(2) आदेश दिनांक 5.8.1980]

12. सेवा निवृत्ति, त्याग पत्र, बरखास्तगी या सेवा मुक्ति की तिथि से दो माह की समाप्ति पर सरकारी आवास खाली कर दिया जाना चाहिए। दो माह बाद स्टैण्डर्ड रेन्ट का दुगुना किराया तथा तीन माह बाद स्टैण्डर्ड रेन्ट का तिगुना किराया वसूल किया जावेगा। [परिशिष्ट (क) नियम 18]

13. ***(क) स्थानान्तरण पर :***

(i) कार्यमुक्ति से एक माह तक – साधारण दर

(ii) एक माह से दो माह तक – साधारण से दुगुना

(iii) तीन माह से छः माह तक – साधारण दर का तिगुना

(iv) छः माह से एक वर्ष तक – बाजार दर से (सा.नि.वि. द्वारा निर्धारित)

(v) तदुपरान्त – बेदखली की कार्यवाही

(ii) से (iv) अंकित अवधि हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करना वांछित है।

(ख) सेवानिवृत्ति होने की स्थिति में :

(i) सेवानिवृत्ति के दो माह तक – साधारण दर

(ii) दो माह के उपरान्त अगले दो माह तक – बाजार दर (सा.नि.वि.द्वारा निर्धारित)

(iii) तदुपरान्त – बेदखली की कार्यवाही

(ii) हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त होने पर

(ग) मृत्यु होने की दशा पर :

(i) दो माह तक आश्रित को – साधारण दर

(ii) तीन माह से छः माह तक – साधारण दर का तिगुना

(iii) छः माह पूर्ण होने पर अगले छः माह तक – बाजार दर से

(iv) तदुपरान्त – बेदखली की कार्यवाही

(क्र.सं. 7(2) सा.प्र./2/2002 दिनांक 30.9.2002)

14. राजकीय आवासों में सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण अथवा अन्य कारणों से राजकीय आवास के पात्र नहीं होने पर नियमों में प्रदान की गई अवधि अथवा विशेष रूप से अनुमत की गई अवधि के पश्चात् अनाधिकृत रूप से निवास करने पर दण्डात्मक किराया वसूल करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सं.प. 1(55)सा.प्र./2/77 दिनांक 30.8.1998 के अनुसार दुगना किराया व तिगुना किराया एवं बाजार दर सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं.पं. 2(1) सा.प्र./2/95 पार्ट दिनांक 100.5.2002 द्वारा प्रभावी होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित के अनुरूप होगी :

आवास की श्रेणी	*दुगना किराया*	*तिगुना किराया*
प्रथम	6 प्रतिशत या ₹ 1344 जो अधिक हो।	9 प्रतिशत या ₹ 2016 जो अधिक हो।
द्वितीय	6 प्रतिशत या ₹ 1050 जो अधिक हो।	9 प्रतिशत या ₹ 1575 जो अधिक हो।
तृतीय	6 प्रतिशत या ₹ 864 जो अधिक हो।	9 प्रतिशत या ₹ 1296 जो अधिक हो।
पंचम्	3 प्रतिशत या ₹ 147 जो अधिक हो।	4.5 प्रतिशत या ₹ 221 जो अधिक हो।

15. यदि कर्मचारी ने स्वयं का मकान बना लिया है या क्रय कर लिया है, उसके उपरान्त भी वह सरकारी आवास में रह रहा है तो उसे तिगुना किराया देने पर सहमत होने पर ही सरकारी निवास में रहने का हकदार माना जायेगा।

[परिशिष्ट (क) नियम 43]

16. आवंटन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील मुख्य सचिव को की जा सकती हैं। [परिशिष्ट (क) नियम 25]

17. यदि कोई सरकारी कर्मचारी पति/पत्नी के साथ सरकारी आवास में रहता है और यदि अधिकारी सरकारी आवास प्राप्त करने के अयोग्य हो जाता है तो आवास उसके पति/पत्नी/पुत्र को आवंटित किया जा सकता है। बशर्ते कि वह नियमों के अधीन योग्य हैं।

[परिशिष्ट (क) नियम 10]

18. पति/पत्नी/पुत्र अविवाहित पुत्री जिसको पति या पत्नी ने नामांकित किया है जो उसके साथ रह रही है/रहे हों और जो पहले से राजकीय सेवा में है

या नियुक्ति अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत हुई है को राजकीय आवास उपयुक्त श्रेणी के अनुसार बिना वरीयता के आवंटित किया जा सकेगा।

(नियम 17 आदेश दिनांक 1.10.2002)

19. शासन सचिव, विभागाध्यक्ष, आयुक्त, जिला कलेक्टर, न्यायिक अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस सेवा के उच्च अधिकारी, वरिष्ट चिकित्साधिकारी को मकान आवंटन में प्राथमिकता दी जावेगी।

20. स्थानान्तरणस हो जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् राजकीय आवास रिक्त करना होगा।

21. विवाह के उपयोग के लिए राजकीय आवास का अस्थायी आवंटन की दरें :

आवास की श्रेणी	*किराया 10 दिन के लिए*	*10 दिन के बाद प्रतिदिन का किराया रुपये में*
प्रथम	₹ 8785	₹ 1025
द्वितीय	₹ 5856	₹ 733
तृतीय	₹ 4100	₹ 513
चतुर्थ	₹ 3221	₹ 439
पंचम्	₹ 1757	₹ 293

आवास का कब्जा लेने से पूर्व धरोहर राशि प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के लिए रु. 250 अतिरिक्त जमा कराने होंगे।

प्रत्येक आगामी वर्ष में सितम्बर से प्रचलित दरों में 10% की दर में स्वतः वृद्धि होगी।

[प. 12(1) सा.प्र./2/2011 दिनांक 28.08.2012]

22. विद्यालयों को विवाह समारोह हेतु किराये पर देने की दरें :

(i) संभागीय मुख्यालयों पर – भवनों के प्रत्येक एवं खुले स्थान के लिए ₹ 500 प्रति कमरा या स्थान

(ii) जिला मुख्यालयों पर – भवनों के प्रत्येक एवं खुले स्थान के लिए ₹ 300 प्रति कमरा या स्थान

(iii) अन्य स्थानों पर – शहरी क्षेत्र स्थित भवनों के प्रत्येक एवं खुले स्थान के लिए ₹ 200 प्रति कमरा या स्थान

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों पर – प्रत्येक कमरे एवं खुले स्थान के लिए ₹ 100 प्रति कमरा या स्थान

शिक्षा कार्य प्रभावित नहीं होने पर ही विवाह समारोह हेतु स्थान उपलब्ध कराये जावें।

[आदेश एफ 16(94) शिक्षा–6/98 दिनांक 22.3.2000]

राजस्थान सरकार
वित्त (नियम) विभाग

क्रमांक : प.8(10)वित्त/नियम/2009 जयपुर, दिनांक : 30 जनवरी, 2017

आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के समक्ष डीबी सिविल रिट (पी.आई.एल.) सं. 20183/2013 योगेश कुमार शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर हुई है, जिसमें राज्य सेवा में सेवारत पति–पत्नी दोनों एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित हों, उन्हें दोहरा मकान किराया भत्ता दिया जाने को चुनौती दी है।

उक्त जन हित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 5–12–2016 को निम्न आदेश पारित किये हैं :

"It is made clear that husband or wife either of them will make an option. If the husband is on high side, he will get HRA and if wife will be on higher side then she will be entitled to receive the same.
Admit. Notice after admission is not required to be issued as the respondents are duly represented.
Petition is fixed for final hearing on 31st July, 2017. No payment will be made by the State Government from 1st January, 2017."

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की अनुपालना में राजकीय सेवा में सेवारत पति–पत्नी जो एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित हैं तथा एक ही मकान में रहते हों तो, उनमें से एक का ही मकान किराया भत्ता, जो दोनों में से जिसका अधिक हो, आहरित किया जावे। इस सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा राजस्थान मकान किराया भत्ता नियम, 1989 के Annexure-B के प्रमाण पत्र के साथ–साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप में प्राप्त किया जावे।

यदि माह जनवरी 2017 के वेतन में दोहरे मकान किराया भत्ता का आहरण किसी राजसेवक द्वारा कर लिया है तो उसका समायोजन आगामी माह के वेतन में एक मुश्त किया जावे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5–12–2016 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका में पारित होने वाले आदेश / निर्णय के अध्यधीन है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

जयपुर परिसर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाष : 0141-2706556

फैक्स : 0141-2705420

ई–मेल : hcmripa@rajasthan.gov.in

वेबसाईट : www.hcmripa.gov.in

सैटेलाइट कैम्पस

- **उदयपुर परिसर**

रानी रोड, उदयपुर–313001

दूरभाष : (0294) 2431355/2430276

फैक्स : (0294) 2431355

- **बीकानेर**

नागनेचेजी मंदिर के पास, शिव बाड़ी रोड, बीकानेर–334001

दूरभाष : (0151) 2240941

फैक्स : (0151) 2249008

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

- **जोधपुर**

कलेक्ट्रेट परिसर (पोस्ट बॉक्स नं. 626), जोधपुर–342006

दूरभाष : (0291) 2556735

- **कोटा**

सिविल लाईन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा–324001

दूरभाष : (0744) 2327729·

मुद्रक : प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस, जयपुर/3000 प्रतियाँ/जनवरी 2017